



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112025-267728
CG-DL-E-17112025-267728

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5030]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 2025/कार्तिक 26, 1947

No. 5030]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2025/KARTIKA 26, 1947

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2025

का.आ. 5200(अ).—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) में पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) सुश्री ममता शंकर के कार्यकाल को दिनांक 09.04.2026 से आगे उनकी 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने अर्थात् 13.09.2026 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फा. सं. 19/3/2019-पीआर]

प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2025

S.O. 5200(E).—In exercise of powers conferred by Section 4 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Central Government hereby extends the tenure of Ms. Mamta Shankar, Whole Time Member (Economics), Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) beyond 09.04.2026 till she attains the age of 62 years i.e. 13.09.2026 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 19/3/2019 PR]

PARSHANT KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

7642 GI/2025